

**SSC- CGL/CPO & OTHER
COMPETITIVE EXAM**

Indian Constitution-

**The President & Vice President of
India**

16 July 2018

The President of India.

भारत के राष्ट्रपति-



Part/भाग V- The Union/संघ

The President of India/भारत के राष्ट्रपति

The President of India is the constitutional head of the State and the government. He is the first citizen of India.

भारत के राष्ट्रपति राज्य और सरकार के संवैधानिक प्रमुख हैं। वे भारत के प्रथम नागरिक हैं।

Article/अनुच्छेद 52:

There shall be a President of India.

भारत में एक राष्ट्रपति होंगे।

Article/अनुच्छेद 53:

The Executive head of the Union/संघ के कार्यकारी प्रमुख

The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution./संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और संविधान के अनुसार इसका प्रयोग उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उनके अधीन अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

4. Emergency Powers/आपातकालीन शक्तियां-

- ❖ National Emergency/राष्ट्रीय आपातकाल
(Article/अनुच्छेद 352)
- ❖ President's Rule/राष्ट्रपति शासन
(Article/अनुच्छेद 356)
- ❖ Financial Emergency/वित्तीय आपातकाल
(Article/अनुच्छेद 360)

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ **National Emergency/राष्ट्रीय आपातकाल
(Article/अनुच्छेद 352)**

**Proclamation of Emergency due to War,
External Aggression or Internal Disturbances.**

**युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण
आपातकाल की घोषणा-**

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ National Emergency/राष्ट्रीय आपातकाल (Article/अनुच्छेद 352)

Under such a situation, the President will have the authority to frame laws for any part of the country.

The Fundamental Rights of the citizens are also suspended. ऐसी स्थिति के तहत, राष्ट्रपति के पास देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए जाते हैं।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ **President's Rule/राष्ट्रपति शासन
(Article/अनुच्छेद 356)**

**Proclamation of Emergency due to the failure
of Constitutional Machinery in a State.**

**एक राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के
कारण आपातकाल की घोषणा।**

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ President's Rule/राष्ट्रपति शासन (Article/अनुच्छेद 356)

In such a situation President's rule is imposed on a State and the Legislative Assembly of that State is dissolved. All the legislative powers of the State go to the Parliament.

ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और उस राज्य की विधान सभा को भंग कर दिया जाता है। राज्य की सभी विधायी शक्तियां संसद में निहित हो जाती है।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ Financial Emergency/वित्तीय आपातकाल (Article/अनुच्छेद 360)

In such a situation, the President may decrease the pay and allowances of the government employees. Moreover, the finances of the States also come under the control of the President.

ऐसी स्थिति में, राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्यों की वित्त भी राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाते हैं।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

5. Pardoning power of the President/राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Article/अनुच्छेद- 72)

- ❖ The President has the power to grant pardon, reprieve, commutation, remission, respite to any persons convicted in any Union Law, or by a court-martial or in cases of death penalty. /राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड, सभी मृत्यु दण्ड तथा संघीय विषय से सम्बन्धित अपराध के लिये दिये गये दण्ड को क्षमा कर सकते हैं या प्रविलम्ब, परिहार, विराम अथवा लघुकरण कर सकते हैं।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

5. Pardoning power of the President/राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Article/अनुच्छेद- 72)

The President exercises this power on the advice of the Union Cabinet.

राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर इस शक्ति का प्रयोग करते हैं।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

5. Pardoning power of the President/राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Article/अनुच्छेद- 72)

The Governor also has pardon powers under Article 161, however, the Governor can't pardon a death sentence nor can he interfere in court-martial cases. /राज्यपाल के पास भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्तियां हैं, हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं और न ही वे अदालत-मार्शल मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

6. Veto Powers/वीटो शक्तियां-

- ❖ Absolute Veto/पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो-
- ❖ Suspensive Veto/निलंबनकारी वीटो-
- ❖ Pocket Veto/पॉकेट वीटो-

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ Absolute Veto/पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो-

The President of India can withhold his approval to any bill which has been passed by the parliament. /भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किए गए किसी भी बिल पर अपनी सहमति हेतु रोक सकते हैं।

Once the President withholds his assent to the bill, it dies and does not become an Act. /एक बार जब राष्ट्रपति बिल पर अपनी सहमति देने से रोक लेते हैं, तो वह समाप्त हो जाता है और यह अधिनियम का रूप नहीं ले पाता है।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ **Absolute Veto/पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो-**

Example/उदाहरण-

In 1954, Dr. Rajendra Prasad withheld his assent to the PEPSU Appropriation Bill. Also, in 1991 R. Venkataraman withheld his assent to the MPs Salaries, allowances bill. /1954 में, डॉ राजेंद्र प्रसाद ने PEPSU स्वीकृति विधेयक में अपनी सहमति को रोक दिया था। इसके अलावा, 1991 में आर वेंकटरमन ने सांसदों के वेतन, भत्ते बिल पर अपनी सहमति को रोक दिया।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ **Suspensive Veto/निलंबनकारी वीटो-**

The President can suspend the passing of a bill by returning it to the parliament for reconsideration.

राष्ट्रपति किसी पास हुए बिल को पुनर्विचार के लिए संसद में लौटाकर इसे निलंबित कर सकते हैं।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ Suspensive Veto/निलंबनकारी वीटो-

If the bill is again passed by the Parliament either with or without any amendment or changes and then again presented to the President, this time the President has to give his assent. /यदि बिल फिर से संसद द्वारा किसी भी संशोधन या परिवर्तन के साथ या उसके बिना पारित किया जाता है और पुनः राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बार राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ **Suspensive Veto/निलंबनकारी वीटो-**

Example/उदाहरण-

In 2006, President APJ Abdul Kalam used the suspensive veto in the office of profit bill.

2006 में, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लाभ के पद का बिल पर निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल किया था।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ Pocket Veto/पॉकेट वीटो-

The President neither approves a bill nor does he return it for reconsideration. The president simply keeps the bill pending for as long as he wants. /राष्ट्रपति न तो एक बिल को मंजूरी देता है और न ही वह पुनर्विचार के लिए इसे वापस कर देता है। राष्ट्रपति बिल को तब तक लंबित रखता है जब तक वह चाहता है।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ Pocket Veto/पॉकेट वीटो-

By doing this the President does not take any positive or negative action on the bill. /ऐसा करके राष्ट्रपति बिल पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं।

Example/उदाहरण-

In 1986, President Giani Zail Singh applied Pocket Veto to Indian Post Office Amendment bill. /1986 में, राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो को भारतीय डाकघर संशोधन बिल पर लागू किया।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

❖ Pocket Veto/पॉकेट वीटो-

NOTE/नोट-

The President has no veto power in case of a constitutional amendment bill. He is bound to give his assent to such bills. /संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। वह इस तरह के बिलों को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

7. Ordinance Powers/अध्यादेश शक्तियां- (Article/अनुच्छेद 123)

An ordinance can be issued by the President only when both houses of Parliament are not in session or when only one house is in session. /राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं या जब केवल एक सदन सत्र में होता है।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

7. Ordinance Powers/अध्यादेश शक्तियां- (Article/अनुच्छेद 123)

The ordinance must be approved by the Parliament within six weeks of its reassembly. /संसद द्वारा पुनः सत्र में आने के बाद छह हफ्तों के भीतर अध्यादेश को अनुमोदित किया जाना चाहिए।

The maximum life of an ordinance is six months.

एक अध्यादेश की अधिकतम जीवन अवधि छह महीने होती है।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

8. Financial Powers/वित्तीय शक्तियां-

All money bills are introduced in the Lok Sabha only with the prior approval of the President.

सभी प्रकार के धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ पेश किए जाते हैं।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

8. Financial Powers/वित्तीय शक्तियां-

- ❖ **The President has the control over Contingency Fund of India. It enables the government to advance money for the purpose of meeting unforeseen expenses. /भारत के आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है। यह अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार को अग्रिम मुद्रा में सक्षम बनाता है।**

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

Contingency Fund of India/भारत का आकस्मिक निधि-

- ❖ It is a fund kept by the Union Government to meet any unforeseen expenditure for which money is immediately needed. The President has full control over this Fund. The President permits withdrawals from this Fund. /एक गैर-व्यय जिसके लिए तत्काल धन की आवश्यकता है उसे पूरा करने हेतु यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक निधि है। इस निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति इस निधि से निकासी की अनुमति देते हैं।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

- ❖ **Annual budget (Railway budget) is introduced in the Lok Sabha on the recommendation of the President. /राष्ट्रपति की अनुमति पर लोकसभा में वार्षिक बजट (रेलवे बजट) पेश किया जाता है।**
- ❖ **Money bills are never returned for reconsideration. /धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए कभी वापस नहीं लौटाया जाता है।**

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

- ❖ **The President appoints the Finance Commission (Article-280) after every five years. It makes recommendations to the President on some specific financial matters, especially the distribution of Central taxes between the Union and the States. /राष्ट्रपति हर पांच साल के बाद वित्त आयोग (अनुच्छेद-280) की नियुक्ति करते हैं। यह कुछ विशिष्ट वित्तीय मामलों पर विशेष रूप से संघ और राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है।**

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

- ❖ **The President also receives the reports of the Comptroller and Auditor-General of India (Article- 148) and has it laid in the Parliament. /राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद- 148) की रिपोर्ट भी मिलती है और जिसे संसद में रखा जाता है।**

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

9. Diplomatic powers/राजनयिक शक्तियां-

He makes the appointments of Indian Ambassadors to other countries and receives the ambassadors of other countries to India.

वह अन्य देशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और अन्य देशों के राजदूत की जानकारी भारत में प्राप्त करते हैं।

Powers of the President.

राष्ट्रपति की शक्तियां-

10. Military powers/सैन्य शक्तियां-